



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**आदिवासी इंटर कॉलेज, ललमटिया, गोड्डा की स्थायी प्रस्वीकृति
(मान्यता) रद्द होने की स्थिति में संबंधित इंटर महाविद्यालय में
नामांकन नहीं लेने के संबंध में सर्व साधारण के लिए आवश्यक सूचना**

विज्ञप्ति संख्या - 33/2019

आदिवासी इंटर कॉलेज, ललमटिया, गोड्डा की स्थायी प्रस्वीकृति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 746 दिनांक 27.02.19 द्वारा रद्द कर दी गई है।

एतद् द्वारा संबंधितों/छात्र-छात्राओं/अभिभावकों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त इंटर महाविद्यालय की स्थायी प्रस्वीकृति रद्द होने की स्थिति में आगामी सत्र 2019-21 से संबंधित इंटर महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेंगे। इस निदेश के पश्चात् भी अगर किसी के द्वारा नामांकन लिया जाता है तो यह उनकी निजी जिम्मेवारी होगी। परिषद् वैसे छात्रों की परीक्षा लेने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

JAC/महा.स्था./0045/09-SECY/255/19

Dt. 27.04.2019

D.O.P- 28.04.2019

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।